



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 6 जुलाई, 2026

आषाढ़ 15, 1948 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-2

संख्या 1316/नौ-2-2026-ई-1922059
लखनऊ, 6 जुलाई, 2026

अधिसूचना

प0आ10-430

चूँकि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अधिसूचना संख्या 1526/ग्यारह-2-94 (1)/74, दिनांक 23 जून, 1975 द्वारा जिला-शाहजहाँपुर में नगर पालिका परिषद जलालाबाद का गठन किया गया था;

और चूँकि, राज्य सरकार ने जिला-शाहजहाँपुर में नगर पालिका परिषद जलालाबाद की प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर नगर जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी परिवर्तित करने का विनिश्चय किया है;

और चूँकि, भारत सरकार ने पत्र संख्या 11/40/2025-एम0 एण्ड जी0, दिनांक 19 अगस्त, 2025 द्वारा नगर जलालाबाद, जिला-शाहजहाँपुर का नाम परशुरामपुरी, जिला-शाहजहाँपुर परिवर्तित करने हेतु अपनी अनापत्ति प्रदान कर दी है।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 6 की उपधारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से जिला-शाहजहाँपुर में नगर पालिका परिषद जलालाबाद, में स्थित नगर जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी परिवर्तित करते हैं।

2-राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी न्यायालय में पहले ही प्रारम्भ की गयी या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,
पी0 गुरुप्रसाद,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1316/IX-2-2026-E-1922059, dated July 6, 2026 :

No. 1316/IX-2-2026-E-1922059

Dated Lucknow, July 6, 2026

WHEREAS Nagar Palika Parishad Jalalabad in district Shahjahanpur was constituted under Clause (a) of sub-section (1) of Section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916) by *vide* notification no.1526/XI-2-94(1)/74, dated; June 23, 1975;

AND WHEREAS, the State Government has decided to change the name of town Jalalabad, situated within the territorial jurisdiction of Nagar Palika Parishad Jalalabad in district Shahjahanpur, to Parashurampuri;

AND WHEREAS, the Government of India *vide* its letter no. 11/40/2025-M&G, dated August 19, 2025 has accorded its no objection to the proposed change of the name of the town Jalalabad, district Shahjahanpur, to Parashurampuri district Shahjahanpur;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Clause (2) of Article 243-Q of the Constitution *read* with sub-section (2) of Section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916) and sub-section (2) of Section 6 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to change the name of town Jalalabad to Parashurampuri located in Nagar Palika Parishad Jalalabad in district Shahjahanpur with effect from the date of publication of this notification in the Official *Gazette*.

2. The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any Court of Law.

By order,
P. GURUPRASAD,
Pramukh Sachiv.